No. NCSC-Adm.015/5/2026-ADMIN (109839)
Government of India
National Commission for Scheduled Castes

5th & 7th Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi,
Dated: 12.10.2026

To,

1. All Ministries/ Departments of Govt. of India
2. Chief Secretary of all States/UTs.

Subject: Filling up of the vacant posts on deputation basis in the National Commission for Scheduled Castes - reg.

Sir,

I am directed to invite applications for filling up the following posts on deputation basis (including short-term contract) in the National Commission for Scheduled Castes as per details below: -

Sl. No.	Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Tentative places of posting*
1.	Director	03*	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800 -209200/-)	Mumbai, Bengluru and Hyderabad (anticipated)
2.	Law Officer	01	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700/-)	New Delhi
3.	Assistant Director	05*	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500)	Agartala, Ahmedabad, Bangalore, Chandigarh, Guwahati, Kolkata, Lucknow, Mumbai and New Delhi
4.	Research Officer	01*	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100/-)	Agartala, Ahmedabad, Bangalore, Chandigarh, Guwahati, Kolkata, Lucknow, Mumbai and New Delhi

5.	Accountant	01	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial	Level-6 in pay matrix (Rs. 35400-112400/-)	New Delhi

*The number of a posts as well as station of posting are subject to variation at the sole discretion of the Commission.

2. The eligibility and other requirements are given in Annexure-I. The terms and conditions of the deputation would be the same as prescribed by the Department of Personnel & Training vide their O.M. No. 6/8/2009--Estt. (Pay I) dated 17.06.2010 as amended from time to time.

3. Applications should be sent through proper channel in the prescribed Proforma (Annexure-II). While forwarding the applications, concerned Ministries/Department should send the up-to-date APARs of last five years and Vigilance clearance certificate of the applicant. It may also be ensured that no major/ minor penalty has been imposed on the concerned officer and the particulars furnished by the applicant are correct and that no disciplinary/ vigilance case is either pending or contemplated against the applicant.

4. It is requested that vacancy may be given wide publicity and the particulars of eligible officers who are fulfilling the eligibility criteria and who are willing to be considered for deputation and also possessing requisite experience and whose services can be spared by the parent Department may kindly be forwarded to this office within 60 days from date of publication of the advertisement in Employment News. Applications received after the last date or without the APARs or otherwise found incomplete or not received through proper channel will not be considered. No applicant will be permitted to withdraw his/ her name after selection. This advertisement and other details/ annexures are also available on the website of the NCSC i.e. https://ncsc.nic.in

Kalloo Ram 12/10/2026
(Kalloo Ram)
Under Secretary to the Govt. of India

To,

1. All State Offices of NCSC
2. DoP&T for uploading in the website of the DoP&T.
3. IT Section, NCSC for uploading in the website of the Commission.

Copy to:

1. Adll. PS to Hon'ble Chairman/PS to Hon'ble Member (LKK)/Member (VR)/Member (PB).

2. PPS to Secretary, NCSC.

3. PS to Joint Secretary, NCSC.

Annexure-I

Eligibility conditions, Educational Qualification, Experience etc. for filling up of the post on Deputation Basis.

1. Director:

Officers under the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or Universities or recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or autonomous, semi-Government or statutory organizations: -

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in level 11 in pay matrix (Rs. 67,700-2,08,700/-) in the parent cadre or department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience as detailed below-

(i) Master's Degree of a recognized University or Institution in Social Work or Sociology or Economics or Anthropology Or Social Anthropology Or Applied Anthropology or Statistics or Psychology or Geography or Mathematics (with statistics).

(ii) Eight years experience of conducting survey or research in the field of social welfare including analysis of data and preparation of the reports.

Note-1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion are not eligible for consideration for appointment on deputation.

Note-2: Period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.

Note-3: The maximum age-limit for appointment by deputation is not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

2. Law Officer

Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Universities or recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organizations: -

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; Or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 10 in pay matrix (Rs. 56100-177500/-) or equivalent in the parent cadre or department; Or

(iii) With six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 8 in pay matrix (Rs.47,600-1,51,100/-) or equivalent in the parent cadre or department: and

(b) possessing the educational qualifications and experience as detailed below-

Master's degree in law of a recognised University or Institute and possessing five years' teaching and/ or research experience in law;

Or

Kalloo 12/10/2016

Bachelor's degree in law of a recognised University or Institute and possessing seven years' teaching and/ or research experience in law;

Or

Should have been a member of State Judicial Service for seven years;

Or

Should be a qualified legal practitioner i.e. Advocate (within the meaning of Advocates Act, 1961), who has practiced as such for seven years.

Note 1: In computing the period during which a person has held an office in the State Judicial Service, there shall be included any period during which he has held any other legal posts or any period during which he has been a legal practitioner.

Note 2: In computing the period during which a person has been qualified legal practitioner there shall be included any period during which he has held any office in the State Judicial Service or has held a legal post in the department of the State or Central Government, Union Territory, Government Research Institute or other research institute of recognised Universities.

Note 3: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 4: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them Absorption: Only officers of the Central Government of State Government and Union Territories shall be eligible for consideration for appointment on absorption basis. Re-employment for armed Forces Personnel: The armed forces Personnel of the rank of Caption or equivalent due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite qualifications and experience shall also be considered while selecting persons for appointment on deputation (including short-term contract). Such persons shall be given deputation terms up to the date in which they are due to release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment (Re-employment up to the age of superannuation with reference to civil post).

Note 1: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2: For the purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or pay Scale, and where this benefit will extend only

Kalloo Ram 12/10/2026

for the post(s) for which that Grade Pay or pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

3. Assistant Director:

Officers under the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or Universities or recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Autonomous, Semi-Government or Statutory organizations: -

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in level 8 in pay matrix Rs.47,600-1,51,100/-) in the parent cadre or department and

(b) possessing the educational qualifications and experience as detailed below-

(i) Master's Degree of a recognized University or Institution in Social Work or Sociology or Economics or Anthropology or Social Anthropology or Applied Anthropology or Statistics or Psychology or Geography or Mathematics (with Statistics).

(ii) Three years experience of conducting survey or research in the field of social welfare including analysis of data and preparation of the reports.

Note-1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion are not eligible for consideration for appointment on deputation.

Note-2: Period of deputation (including short-term contract) in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note-3: The maximum age-limit for appointment by deputation is not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

4. Research Officer

Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory organizations: -

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in level 7 in pay matrix (Rs. 44900-142400/-) in the parent cadre or department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience as detailed below-

(i) Master's Degree of a recognized University or Institution in Social Work or Sociology or Economics or Anthropology or Social Anthropology or Applied Anthropology or Statistics or Psychology or Geography or Mathematics (with Statistics).

12/10/2026

(ii) Two years experience of conducting survey or research in the field of social welfare including analysis of data and preparation of the reports.

Note-1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion are not eligible for consideration for appointment on deputation.

Note-2: Period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note-3: The maximum age-limit for appointment by deputation is not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

5. Accountant

Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory organizations: -

(1) Senior Secretariat Assistants of the Central Secretariat Clerical Service with eight years regular service in the grade and who have undergone training in Cash and Accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possessing two years' experience of cash, accounts and budget work;

(2) officers under the Central Government or State Government or Union Territories or recognized research institutions or universities or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations:

(I) (A) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(B) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts of level 5 in the pay matrix Rs 29200-92300/- in the parent cadre or department; or

(C) with eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts of level 4 in the pay matrix Rs.25500-81100/- in the parent cadre or department; and

(II) who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possessing two years' experience of cash, accounts and budget work.

Note-1: Period of deputation (including short-term contract) in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note-2: The maximum age-limit for appointment by deputation is not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Kalyan Kr
12/10/2026

ANNEXURE-II

PROFRORMA

BIO-DATA/CURRICULUM VITAE

Post applied for________________________

1. Name and Address (in Block Letters)	
2. Date of Birth (in Christian era)	
3. i) Date of entry into service	
ii)Date of retirement under Central/State Government Rules	
4. Education Qualifications	
5. Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. **(If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same)**	

Qualifications/ Experience required as mentioned in the advertisement/ vacancy circular	Qualifications/ Experience possessed by the officer
Essential	Essential
A) Qualification	A) Qualification
B) Experience	B) Experience
Desirable	**Desirable**
A) Qualification	A) Qualification
B) Experience	B) Experience

5.1Note: This column needs to be amplified to indicate Essential and Desirable Qualifications as mentioned in the RRs **by the Administrative Ministry/ Department/ Office** at the time of issue of Circular and issue of Advertisement in the Employment News.

5.2 In the case of Degree and Post Graduate qualifications Elective/ main subjects and subsidiary subjects may be indicated **by the candidate.**

6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requisite Essential Qualifications and work experience of the post.	

6.1 Note: Borrowing Departments are to provide their specific comments/ views confirming the relevant Essential qualification/ work Experience possessed by the Candidate (as indicated in the Biodata) with reference to the post applied.

12/10/2026

7. Details of Employment, in chronological order, **Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, If the space below is insufficient.**

Office/ Institution	Post held on regular basis	From	To	*Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale of the post held on regular basis	Nature of Duties (In detail) highlighting experience required for the post applied for

*Important: Pay-band and Grade Pay granted under ACP/MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only Pay Band and Grade Pay/ Pay scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/ MACP with present pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below;

Office/ Institution	Pay, Pay Band, and Grade Pay drawn under ACP/ MACP Scheme	From	To

8. Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary of /Quasi-Permanent of Permanent			
9. In case the present employment is held on deputation/ contract basis, please state-			
a) The date of initial appointment	b) Period of appointment on deputation/ contract	c) Name of the parent office/ organization to which the applicant belongs.	d) Name of the post and pay of the post held in substantive capacity in the parent organisation
9.1 Note: In case of Officers already on deputation, the applications of such officers should be forwarded by the parent cadre/ Department along with Cadre Clearance, Vigilance clearance and integrity certificate. **9.2** Note: Information under Column 9(c) & (d) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre/ organization but still maintaining a lien in his parent cadre/ organisation			
10.If any post held on Deputation in the past by the applicant, date of return from the last deputation and other details.			
11.**Additional details about present employment:** Please state whether working under (Indicate the name of your employer against the relevant column) a) Central Government b) State Government c) Autonomous Organization d) Government Undertaking e) Universities f) Others			

Kalloo [illegible] 12/10/2026

12. Please state whether you are working the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.	
13. Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale.	

14. Total emoluments per month now drawn		
Basic Pay in the PB	Grade Pay	Total Emoluments

15. In case the applicant belongs to an Organisation which is not following the Central Government Pay-Scales, the latest salary slip issued by the Organisation showing the following details may be enclosed.		
Basic Pay with Scale of Pay and rate of increment	Dearness Pay/ interim relief/other Allowances etc., (with break-up details)	Total Emoluments

16.A **Additional information,** if any, relevant to the post you applied for in support of your suitability for the post. (This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii) professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/ Advertisement) **(Note: Enclosed a separate sheet, if the space is insufficient)**	
16.B Achievements: The candidates are requested to indicate information with regard to; (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards/Scholarships/Official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/instructions/societies and; (iv) Patents registered in won name or achieved for the organization (v) Any research/ innovative measure involving official recognition (vi) Any other information **(Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)**	
17. Please state whether you are applying for deputation (ISTC/Absorption/Re-employment Basis. # (Officers under Central/State Governments are only eligible for 'Absorption". Candidates of non-Government Organizations are eligible only for Short Term contract)	
# (The option of 'STC'/ 'Absorption'/ 'Re-employment' are available only if the vacancy circular specially mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or "Re-employment").	
18. Whether belongs to SC/ST	

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by the documents in respect of

Essential Qualification/ Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/ details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/ withheld.

(Signature of the candidate)

Address ____________________

____

Email ID____________________

Date ____________________

Kalhok
12/10/2016

Certification by the Employer/ Cadre Controlling Authority

The information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy Circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

2. Also certified that;

i) There is no vigilance or disciplinary case pending/ contemplated against Shri/Smt. ________

ii) His/Her integrity is certified.

iii) His/ Her CR Dossier in original in enclosed/photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed.

iv) No major/ minor penalty has been imposed on him/her during the last 10 years **Or** A list of major/ minor penalties imposed on him/ her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be)

Countersigned

____

(Employer/ Cadre Controlling Authority with Seal)

Kallooh
12/10/2021

संख्या एनसीएससी/प्रशा.015/5/2026-प्रशासन [109839]

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

5वीं और 7वीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 12 अक्तूबर, 2026

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव

विषय: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर रिक्त पदों को भरने के संबंध में।

महोदय,

मुझे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर (अल्पकालिक अनुबंध सहित) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने का निर्देश हुआ है:-

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	तैनाती के संभावित स्थान
1.	निदेशक	03*	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (78800-209200/- रुपए) में स्तर 12	मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद (प्रत्याशित)
2.	विधि अधिकारी	01	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (67700-208700/- रुपए) में स्तर 11	नई दिल्ली
3.	सहायक निदेशक	05*	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (56100-177500/- रुपए) में स्तर 10	अगरतला, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नई दिल्ली
4.	अनुसंधान अधिकारी	01*	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (47600-151100/- रुपए) में स्तर 8	अगरतला, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नई दिल्ली

5.	लेखाकार	01	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (35400-112400/- रुपए) में स्तर 6	नई दिल्ली

* पदों की संख्या और साथ ही पदस्थापना के स्थान में आयोग के पूर्ण विवेक पर परिवर्तन किया जा सकता है।

2. पात्रता और अन्य आवश्यकताएँ अनुलग्नक-I में दी गई हैं। प्रतिनियुक्ति के नियम और शर्तें वही होंगी जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्था. (वेतन I) दिनांक 17.06.2010 के तहत निर्धारित की गई हैं, जिसमें समय-समय पर संशोधन किया गया हो।

3. आवेदन निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-II) में उचित माध्यम से भेजे जाने चाहिए। आवेदन अग्रेषित करते समय, संबंधित मंत्रालयों/विभागों को आवेदक के पिछले पांच वर्षों की अद्यतन एपीएआर और सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र भेजना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित अधिकारी पर कोई बड़ी/छोटी शास्ति न लगाई गई हो, आवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरण सही हो और आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता मामला न तो लंबित हो और न ही विचाराधीन हो।

4. अनुरोध है कि रिक्ति का व्यापक प्रचार किया जाए और पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले तथा प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के इच्छुक पात्र अधिकारियों का विवरण, जो आवश्यक योग्यता/अनुभव रखते हों और जिनकी सेवाएँ मूल विभाग द्वारा दी जा सकती हों, रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर इस कार्यालय को अग्रेषित किया जाए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त, बिना एपीएआर के या अधूरे पाए गए अथवा उचित माध्यम से प्राप्त न होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। चयन के बाद किसी भी आवेदक को अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह विज्ञापन और अन्य विवरण/अनुलग्नक एनसीएससी की वेबसाइट यानी https://ncsc.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

(कल्लू राम)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सभी राज्य कार्यालय।
2. डीओपीटी - डीओपीटी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. आईटी अनुभाग, एनसीएससी - आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. माननीय अध्यक्ष के अपर निजी सचिव/ माननीय सदस्य (एलकेके)/सदस्य(वीआर)/ सदस्य(पीबी) के निजी सचिव।
2. सचिव, एनसीएससी के प्रधान निजी सचिव।
3. संयुक्त सचिव, एनसीएससी के निजी सचिव।

अनुलग्नक-I

प्रतिनियुक्ति के आधार पर पद को भरने के लिए पात्रता शर्तें, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि।

1. निदेशक:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त संस्थानों या लोक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त अर्ध सरकारी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या अर्थशास्त्र या मानव शास्त्र या सामाजिक मानव शास्त्र या अनुप्रयुक्त मानव शास्त्र या सांख्यिकी या मनोविज्ञान या भूगर्भ विज्ञान या गणित (सांख्यिकी सहित) में मास्टर डिग्री।

(ii) सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सर्वेक्षण या अनुसंधान करने का 8 वर्ष का अनुभव जिसमें आंकड़ा विश्लेषण करना और आंकड़ों को तैयार करना भी है।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. विधि अधिकारी:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या लोक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों; (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रुपए) के स्तर 10 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की हो; या

कलमुरा

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 8 (47,600-1,51,100/- रुपए) या इसके समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में छह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो; और

(ख) जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों:-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कानून में परामर्शकोत्तर डिग्री और कानून में पांच वर्ष का शिक्षण और/या अनुसंधान अनुभव;

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कानून में स्नातक डिग्री और कानून में सात वर्ष का शिक्षण और/या अनुसंधान अनुभव;

अथवा

वह सात वर्ष तक राज्य न्यायिक सेवा के सदस्य रहे हों;

अथवा

वह एक योग्य विधि व्यवसायी यानी अधिवक्ता (अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अर्थ के अंतर्गत) होने चाहिए, जिन्होंने इस रूप में सात वर्ष तक वकालत की हो।

नोट 1: उस अवधि की गणना करते समय जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने राज्य न्यायिक सेवा में पद धारण किया है, ऐसी कोई भी अवधि शामिल की जाएगी जिसके दौरान उसने कोई अन्य कानूनी पद धारण किया हो या जिसके दौरान वह विधि व्यवसायी (अधिवक्ता) रहा हो।

नोट 2: उस अवधि की गणना करते समय जिसके दौरान कोई व्यक्ति योग्य विधि व्यवसायी रहा है, ऐसी कोई भी अवधि शामिल की जाएगी जिसके दौरान उसने राज्य न्यायिक सेवा में कोई पद धारण किया हो या राज्य या केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, सरकारी अनुसंधान संस्थान या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अन्य अनुसंधान संस्थान के विभाग में कोई कानूनी पद धारण किया हो।

नोट 3: अन्यथा अच्छी तरह से योग्य उम्मीदवारों के मामले में, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से योग्यताओं में ढील दी जा सकती है।

नोट 4: अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, अनुभव से संबंधित योग्यता में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ढील दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी चरण में संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि इन समुदायों से आवश्यक अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

आमेलन: आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी ही विचार किए जाने के पात्र होंगे।

सशस्त्र बल कर्मियों के लिए पुनर्नियोजन: कैप्टन या समकक्ष रैंक के सशस्त्र बल कर्मी, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास आवश्यक योग्यता और अनुभव है, उन पर भी प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन करते समय विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तिथि तक प्रतिनियुक्ति की शर्तें दी जाएंगी जिस तिथि को उन्हें सशस्त्र बलों से सेवामुक्त किया जाना है और उसके बाद उन्हें पुनर्नियोजन पर जारी रखा जा सकता है (सिविल पद के संदर्भ में अधिवर्षिता आयु तक पुनर्नियोजन)।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान, सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी अन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

3. सहायक निदेशक:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त संस्थानों या लोक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त, अर्ध-सरकारी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों;

(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) के स्तर 8 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या अर्थशास्त्र या मानव विज्ञान या सामाजिक मानव विज्ञान या अनुप्रयुक्त मानव शास्त्र या मनोविज्ञान या भू-गर्भ विज्ञान या गणित (सांख्यिकी सहित) में मास्टर डिग्री।

कन्हैया

(ii) सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सर्वे करने या अनुसंधान के क्षेत्र में जिसमें आंकड़ा विश्लेषण या रिपोर्ट तैयार करना भी है, का 3 वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. अनुसंधान अधिकारी:

केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों के अधीन अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश्य पद धारण किए हुए हों; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400/- रुपए) के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों-

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सामाजिक विज्ञान या अर्थशास्त्र या मानव शास्त्र या सामाजिक मानव शास्त्र या अनुप्रयुक्त मानव शास्त्र या मनोविज्ञान या भूगोल या गणित (सांख्यिकी के साथ) में मास्टर डिग्री;

(ii) सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सर्वेक्षण या अनुसंधान संचालित करने का दो वर्ष का अनुभव जिसके अंतर्गत डाटाओं का विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करना भी है।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. लेखाकार :

केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों के अधीन अधिकारी:-

(1) केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के ऐसे ज्येष्ठ सचिवालय सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो और जो सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हों तथा रोकड़, लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव रखते हों; जिसके न हो सकने पर

(2) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या अर्धसरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारी:

(I) (क) जो मूल काडर या विभाग में सदृश्य पद धारण किए हुए हों; या (ख) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29200-92300/- रुपए) के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; या

ग) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100/- रुपए) के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(II) जो सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हों तथा रोकड़, लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव रखते हों; जिसके न हो सकने पर

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति(जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>अनुबंध-II</u>

प्रोफ़ॉर्मा

बायो-डाटा/जीवन-वृत्त

आवेदित पद ______________________

1. नाम और पता (बड़े अक्षरों में)	
2. जन्म तिथि (ईसवी सन् में)	
3. i) सेवा में आने की तिथि	
ii) केंद्र/राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि	
4. शैक्षिक अर्हताएं	
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं। **(यदि कोई अर्हता नियमों में निर्धारित अर्हता के समरूप मानी गई हो तो उसके प्रमाण का उल्लेख करें)**	

विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में यथा उल्लिखित अपेक्षित अर्हता/अनुभव	अधिकारी की अर्हता/अनुभव
अनिवार्य	अनिवार्य
क) अर्हता	क) अर्हता
ख) अनुभव	ख) अनुभव
वांछनीय	**वांछनीय**
क) अर्हता	क) अर्हता
ख) अनुभव	ख) अनुभव

5.1 टिप्पणी: परिपत्र/रोज़गार समाचार में विज्ञापन जारी करते समय **प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा** भर्ती नियमों में यथा उल्लिखित अनिवार्य और वांछित अर्हताओं को दर्शाने के लिए इस कॉलम को प्रवर्धित करने की आवश्यकता है। **5.2** डिग्री और स्नातकोत्तर अर्हता के मामले में **आवेदक द्वारा**, ऐच्छिक/मुख्य विषयों और सहायक विषयों को निर्दिष्ट किया जाए।

6. ऊपर दी गई प्रविष्टियों के आलोक में कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि क्या आप पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हताएं और कार्य का अनुभव रखते हैं।	
6.1 टिप्पणी: आवेदित पद के संदर्भ में आवेदक द्वारा धारित संबद्ध आवश्यक अर्हता/कार्य अनुभव (जीवन-वृत्त में यथानिर्दिष्ट) की पुष्टि करते हुए आदाता विभाग को अपनी विशिष्ट टिप्पणी/मत उपलब्ध कराने होंगे।	

7. कालक्रमानुसार रोजगार का ब्यौरा, **यदि नीचे दिया गया स्थान पर्याप्त न हो तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित अलग पृष्ठ संलग्न करें।**

कार्यालय/संस्था	नियमित आधार पर धारित पद	से	को	*नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	कार्य का स्वरूप (विस्तृत रूप में) जिसमें आवेदित पद के लिए अपेक्षित अनुभव को विशिष्टतया से दर्शाया गया हो।

*महत्वपूर्ण: एसीपी/एमएसीपी के अंतर्गत प्रदान किया गया वेतन-बैंड और ग्रेड-पे अधिकारी के लिए वैयक्तिक होते हैं, इसलिए इनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित पद का वेतन-बैंड और ग्रेड-पे/वेतनमान का उल्लेख किया जाना चाहिए। वर्तमान वेतन-बैंड और ग्रेड-पे के साथ, एसीपी/एमएसीपी के ब्यौरे निम्नानुसार निर्दिष्ट किए जाएं जहां आवेदक द्वारा ऐसे लाभ प्राप्त किए गए हों;

कार्यालय/संस्था	एसीपी/एमएसीपी स्कीम के तहत आहरित वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड पे	से	तक

कल्याण

8. वर्तमान रोजगार का स्वरूप अर्थात तदर्थ अथवा अस्थायी/स्थायीवत् अथवा स्थायी	

9. प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर धारित वर्तमान रोज़गार के मामले में कृपया उल्लेख करें-			
क) प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि	ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि	ग) आवेदक के मूल कार्यालय/संगठन का नाम	घ) मूल संगठन में मूल क्षमता में धारित पद का नाम और वेतन

9.1 टिप्पणी: यदि अधिकारी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर हैं, तो ऐसे अधिकारियों के आवेदन पत्र मूल कैडर/विभाग द्वारा कैडर क्लीयरेंस, सतर्कता अनापत्ति और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के साथ अग्रेषित किए जाने चाहिए। **9.2** टिप्पणी: उपरोक्त कॉलम 9(ग) और (घ) के अंतर्गत सूचना उन सभी मामलों में दी जानी चाहिए जहां कोई आवेदक कैडर/संगठन से इतर प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है, परंतु अपने मूल कैडर/संगठन में अभी भी ग्रहणाधिकार पर है।	
10.यदि आवेदक द्वारा पूर्व में प्रतिनियुक्ति पर कोई पद धारण किया गया है, तो अंतिम प्रतिनियुक्ति से लौटने की तिथि और अन्य ब्यौरे	
11.**वर्तमान रोजगार से संबंधित अतिरिक्त ब्यौरा:** कृपया उल्लेख करें- आप निम्न के अंतर्गत कार्यरत हैं(संबंधित कॉलम में अपने नियोक्ता का नाम निर्दिष्ट करें) क) केंद्र सरकार ख) राज्य सरकार ग) स्वायत्त संगठन घ) सरकारी उपक्रम ङ) विश्वविद्यालय च) अन्य	
11.कृपया उल्लेख करें कि क्या आप उसी विभाग में और फीडर ग्रेड अथवा फीडर के फीडर ग्रेड में कार्यरत हैं।	
12.क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हाँ, तो संशोधन की तिथि और संशोधन-पूर्व वेतनमान का उल्लेख करें।	

13.वर्तमान में प्रति माह आहरित कुल परिलब्धियां		
पीबी में मूल वेतन	ग्रेड पे	कुल परिलब्धियां

14.यदि आवेदक किसी ऐसे संगठन में हो जो केन्द्रीय सरकार के वेतनमान का पालन नहीं करता हो, तो संगठन द्वारा जारी नवीनतम वेतन स्लिप, जिसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाया गया हो, संलग्न की जाए।		
वेतनमान और वेतन वृद्धि दर के साथ मूल वेतन	महंगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि (अलग-अलग विवरण सहित)	कुल परिलब्धियां

16.क. आपके द्वारा आवेदित पद के संबंध में, पद हेतु आपकी उपयुक्तता के समर्थन में **अतिरिक्त सूचना**, यदि कोई हो। (इसमें अन्य बातों के अलावा (i) अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (iii) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित से अधिक कार्य अनुभव के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है) **(टिप्पणी: यदि स्थान पर्याप्त न हो तो अलग से शीट संलग्न करें)**	
16.ख. उपलब्धियां: उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के संबंध में सूचना उपलब्ध कराएं; (i) शोध प्रकाशन और रिपोर्ट और विशेष प्रोजेक्ट्स (ii) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/आधिकारिक प्रशस्ति (iii) व्यावसायिक निकायों/निर्देशों/सोसायटियों से संबंधन; (iv) अपने नाम से पंजीकृत या संगठन के लिए प्राप्त पेटेंट (v) अनुसंधान/नवाचार जिसे आधिकारिक पहचान मिली हो (vi) कोई अन्य सूचना **(टिप्पणी: यदि स्थान पर्याप्त न हो तो अलग शीट संलग्न करें)**	
17.कृपया उल्लेख करें कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी/आमेलन/पुनर्नियोजन आधार) के लिए आवेदन कर रहे हैं। # 'आमेलन' के लिए केवल केंद्र/राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत अधिकारी पात्र हैं। गैर-सरकारी संगठनों के उम्मीदवार केवल अल्पकालिक संविदा के लिए पात्र हैं	
# ('एसटीसी'/'आमेलन'/'पुनर्नियोजन' का विकल्प केवल इस स्थिति में उपलब्ध है जब रिक्ति परिपत्र में विशेष रूप से "एसटीसी" या	

"आमेलन" या "पुनर्नियोजन" द्वारा भर्ती का उल्लेख किया गया हो)।	
18. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से हैं?	

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मुझे इसकी पूरी जानकारी है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आवश्यक अर्हता/कार्य अनुभव से संबंधित दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित जीवन-वृत्त में प्रस्तुत सूचना का भी पद के लिए चयन के समय चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा प्रदत्त सूचना/ब्यौरे मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सही और सत्य हैं और मेरे चयन को प्रभावित करने वाले किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया/रोका नहीं गया है।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

पता: ____________________

____

ईमेल आईडी____________________

दिनांक: ____________________

फ्लैग 215

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा प्रमाणन

आवेदक द्वारा उपरोक्त आवेदन में दी गई सूचना/विवरण अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सत्य एवं सही है। आवेदक रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव रखते हैं। चयनित होने पर उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

2. **यह भी प्रमाणित किया जाता है कि;**

i) श्री/श्रीमती _________ के विरुद्ध कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है।

ii) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।

iii) उनकी सी.आर. डोजियर की मूल प्रति/पिछले 5 वर्षों की ए.सी.आर. की फोटो प्रतियां, जो भारत सरकार के अवर सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित की गई हैं, संलग्न हैं।

iv) पिछले 10 वर्षों के दौरान उनके ऊपर कोई छोटी/बड़ी शास्ति नहीं लगाई गई है अथवा पिछले 10 वर्षों के दौरान उनके ऊपर लगाई गई छोटी/बड़ी शास्ति की सूची संलग्न है। (जैसा भी मामला हो)

प्रतिहस्ताक्षरित

____

(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी मुहर सहित)

frogs215